राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 17032/2022

रजनी गुजराती पत्नी श्री दीपक कुमार गुजराती, आयु लगभग 43 वर्ष, मकान सं. 57, शांति नगर, मसूरिया, जोधपुर, राजस्थान। (हाल एक्स- सफ़ाईवाली/हाउस कीपर,सैन्य अस्पताल,जोधपुर) ---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव के माध्यम से, रक्षा मंत्रालय रायसेना हिल्स, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

2. महानिदेशक सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवा (डी. जी. ए. एफ. एम. एस.), रक्षा मंत्रालय, 'एम' ब्लॉक, चर्च रोड, कनॉट प्लेस, भारत सरकार, दिल्ली-110001

3. कमांडेंट, सैन्य अस्पताल, जोधपुर, राजस्थान।-----उत्तरदाता

के साथ

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 16426/2022

दिनेश पंडित पुत्र श्री परमेश्वर लाल पंडित, आयु लगभग 36 वर्ष, जाति हरिजन (अनुसूचित जाति), निवासी पनाचौलिया नदी, हरिजन बस्ती, जोधपुर, राजस्थान। (हाल एक्स सफाईवाला (सफाईकर्मी), सैन्य अस्पताल, जोधपुर) .....याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, रक्षा मंत्रालय, रायसेना हिल्स, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. महानिदेशक सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवा (डी. जी. ए. एफ. एम. एस.), रक्षा मंत्रालय, एम. ब्लॉक, चर्च रोड, कैनॉट प्लेस, भारत सरकार, दिल्ली 110001

3. कमांडेंट, सैन्य अस्पताल, जोधपुर, राजस्थान।-----उत्तरदाता

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 16428/2022

कपिल देव पुत्र श्री हरि राम, आयु लगभग 43 वर्ष, जाति हरिजन (एस. सी.), आर/ओ रोडवेज कार्यशाला के पास, नया नगर हरिजन बस्ती, जोधपुर, राजस्थान (हाल पूर्व-सफाईवाली/हाउस कीपर, सैन्य अस्पताल, जोधपुर)---याचिकाकर्ता।

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, रक्षा मंत्रालय, रायसेना हिल्स, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. महानिदेशक सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवा (डी. जी. ए. एफ. एम. एस.), रक्षा मंत्रालय, एम. ब्लॉक, चर्च रोड, कैनॉट प्लेस, भारत सरकार, दिल्ली 110001

3. कमांडेंट, सैन्य अस्पताल, जोधपुर, राजस्थान।-----उत्तरदाता

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 16722/2022

पिंकी पत्नी श्री श्री विजय तेजवानी, आयु लगभग 37 वर्ष, आर/ ओ 34, रूप नगर, रूपा बाई का जाव, भदवासिया रोड, जोधपुर, राजस्थान। (हाल एक्स सफाईवाली/हाउसकीपर, सैन्य अस्पताल, जोधपुर-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, रक्षा मंत्रालय, रायसेना हिल्स, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. महानिदेशक सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवा (डी. जी. ए. एफ. एम. एस.), रक्षा मंत्रालय, एम. ब्लॉक, चर्च रोड, कैनॉट प्लेस, भारत सरकार, दिल्ली 110001

3. कमांडेंट, सैन्य अस्पताल, जोधपुर, राजस्थान।-----उत्तरदाता

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 17917/2022

जय कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार, आयु लगभग 34 वर्ष, जाति हरिजन (एससी), निवासी प्रथम पुरा, रसाला रोड, हरिजन बस्ती, जोधपुर, राजस्थान (हाल पूर्व-सफाईवाला (सफाईकर्मी), सैन्य अस्पताल, जोधपुर)।---- याचिकाकर्ता।

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, रक्षा मंत्रालय, रायसेना हिल्स, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. महानिदेशक सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवा (डी. जी. ए. एफ. एम. एस.), रक्षा मंत्रालय, एम. ब्लॉक, चर्च रोड, कैनॉट प्लेस, भारत सरकार, दिल्ली 110001

3. कमांडेंट, सैन्य अस्पताल, जोधपुर, राजस्थान।-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिएः- श्री एस. पी. शर्मा प्रत्यर्थी (ओं) के लिएः- श्री मुकेश राजपुरोहित, डिप्टी कमिश्नर, एस.जी.

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

23/01/2024

1. याचिकाकर्ताओं की शिकायत याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने में प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से दिनांकित 16.08.2014 के आदेश के माध्यम से की गई कार्रवाई से उपजी है। वे जोधपुर के सैन्य अस्पताल में सफाईवाला (सफाईकर्मी) के रूप में अनुबंध/दैनिक मजदूरी के आधार पर काम कर रहे थे। सफाईकर्मी उपलब्ध कराने के लिए निजी ठेकेदारों की सेवाएं ली गईं।

2. तथ्य विवादित नहीं हैं जैसा कि मेरी चर्चा को रिकॉर्ड करने के दौरान आगे उल्लेख किया गया है। मैंने विद्वान वकीलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं और मामले की फाइल का अध्ययन किया है।

3. इस न्यायालय के समक्ष गरीब असहाय वर्ग-IV सफाई कर्मचारी (सफाईकर्मी) हैं, जिनकी सेवाओं को प्रासंगिक समय पर प्रत्यर्थी सं. 3. द्वारा काम पर रखा गया था, उन्होंने अलग-अलग समय अवधि के लिए निर्बाध रूप से काम करना जारी रखा। जिसके बाद उनकी सेवाओं को संक्षिप्त रूप से समाप्त कर दिया गया।

4. यह स्पष्ट करता है कि प्रत्यर्थी नं. 3 ने निजी ठेकेदार/प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग करके अस्पताल की सफाई के लिए आवश्यक सफाई कर्मचारी को काम पर रखने का नीतिगत निर्णय लिया। यह तथ्य कि सफाईकर्मियों की भर्ती जारी रखने के लिए निजी एजेंसी को काम पर रखा गया था, यह दर्शाता है कि सफाईकर्मियों की सेवाएं वास्तव में अस्पताल द्वारा आवश्यक हैं/थीं। किसी भी प्रशासनिक असुविधा से बचने के लिए, प्रतिवादी नं. 3 ने संविदात्मक कर्मचारियों के दो समूह नहीं रखने का निर्णय लिया है (ए) जिन्हें निजी एजेंसी के माध्यम से काम पर रखा गया है, (बी) वे जो अतीत में अस्पताल द्वारा संविदात्मक कार्य के तहत काम कर रहे थे।

5. इसी पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था और उन्हें निर्देश दिया गया था कि यदि वे सेवा में बने रहना चाहते हैं तो वे नए सिरे से आवेदन देने के लिए निजी एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। हालाँकि, या तो एक सलाह के तहत या अपनी इच्छा से, या जो भी मामला हो, याचिकाकर्ताओं ने निजी एजेंसी से संपर्क करने के बजाय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन (ओए) संख्या 290/00441/2014 दायर किया, जिसे दिनांक 12.04.2017 (अनुलग्नक 12) के निर्णय/आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी। विद्वत न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थियों को 30 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ अनुबंध के आधार पर सेवा में शामिल करके याचिकाकर्ताओं को फिर से शामिल करने का निर्देश दिया। पीड़ित, प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7083/2017 के रूप में रिट याचिका को प्राथमिकता दी। विद्वत न्यायाधिकरण के निर्णय/आदेश को इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 12.07.2017 (अनुलग्नक 13) के एक प्रतिपादन के माध्यम से रद्द कर दिया गया था। इसमें यह राय दी गई थी कि इस बारे में एक विशिष्ट निष्कर्ष वापस किए बिना कि क्या याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी सं. 3, न्यायाधिकरण उन्हें वापस शामिल करने के लिए निर्देश जारी करने वाले मामले की योग्यता पर विचार नहीं कर सकता था। तदनुसार, मामले को विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा नए फैसले के लिए भेज दिया गया था।

6. रिमांड पर लेने पर, मामले की नए सिरे से सुनवाई की गई और जैसा कि यह पता चला, न्यायाधिकरण द्वारा यह इस तरह से अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता इस सिविल पद पर नहीं थे, इसलिए अनुबंध के आधार पर फिर से शामिल किए जाने के उनके दावे पर निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि दिनांक 19.07.2019 (अनुलग्नक 14) के आदेश के अनुसार कैट में निहित उचित अधिकार

क्षेत्र की कमी थी। कैट द्वारा दूसरे दौर में ओ. ए. को खारिज करने के खिलाफ, याचिकाकर्ताओं ने एक बार फिर डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2300/2020 और याचिकाओं के अन्य समूह के रूप में रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो भी इसी तरह के भाग्य का सामना करते थे क्योंकि उन्हें विद्वान न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में बिना किसी हस्तक्षेप के खारिज कर दिया गया था।

7. यह इस आधार पर है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष हैं, जो शायद पांचवीं याचिका है, यानी दो बार कैट के समक्ष और दो बार डिवीजन बेंच के समक्ष असाधारण अधिकार क्षेत्र के तहत अनुग्रह की मांग करते हुए।

8. आम तौर पर, यह न्यायालय हालांकि असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने में अनिच्छुक होता क्योंकि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। प्रासंगिक समय पर याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को मूल रूप से नियुक्त किया गया था, हालांकि, निश्चित रूप से रोजगार विनिमय के माध्यम से, लेकिन केवल दैनिक मजदूरी पर। सामान्य कानून यह है कि दैनिक वेतनभोगी नियमित कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे संभवतः नियमित नियुक्ति में लागू होने वाले सेवा नियमों का आह्वान नहीं कर सकते हैं। एक दैनिक दांव, यह शब्द अपने आप में स्व-व्याख्यात्मक है क्योंकि सेवाओं को दिन-प्रतिदिन के आधार पर काम पर रखा जाता है, वह भी, नियोक्ता के विवेक पर, काम की आवश्यकता के आधार पर। कहने की जरूरत नहीं है कि एक नियोक्ता को दिन-प्रतिदिन के आधार पर एक कर्मचारी की सेवा जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, अगर काम की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

9. एक अदालती प्रश्न पर कि क्या प्रतिवादी, इस स्तर पर,

याचिकाकर्ताओं को उसी नियम और शर्तों पर नियुक्त किए जाने के लिए नियुक्ति एजेंसी से संपर्क करने के लिए एक नया प्रस्ताव देने के लिए तैयार हैं, जिस पर अन्य लोगों को उक्त एजेंसी द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि नौकरी की आवश्यकता है और अतीत में याचिकाकर्ताओं की सेवाएं वास्तव में संतोषजनक थीं, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया है, तो इसका कोई कारण नहीं है कि उनके आवेदनों पर कानून के अनुसार विचार क्यों नहीं किया जाएगा।

10. ऐसा होने के कारण, सक्षम प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए, नियुक्ति एजेंसी को उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवाओं को उचित विश्वास देते हुए, उन्हें अनुबंध पर काम पर रखने के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर विचार करने का निर्देश देगा।

उत्तरदाता नं. 3 याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने पर प्लेसमेंट एजेंसी के नाम का खुलासा करने का भी निर्देश दिया जाता है।

11. यह सलाह दी जाएगी कि यदि याचिकाकर्ताओं/आवेदकों को इस तरह की नियुक्तियों की पेशकश की जाती है, तो उनमें से अधिकांश वरिष्ठों को प्राथमिकता के आधार पर वरीयता दी जाएगी और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि/अवधि के अनुसार एक वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है कि जिसने अतीत में सबसे लंबी सेवा प्रदान की, उसे दूसरों से पहले वरीयता मिलेगी। जहां तक याचिकाकर्ताओं के पिछले वेतन के दावे का संबंध है, उसे केवल काम नहीं, वेतन नहीं के सिद्धांत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

12. रिट याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।